कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण का) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/ 1717 भोपाल दिनांक 30 जून 1998

प्रति,

सम्स्त वन संरक्षक
मध्यप्रदेश.

विषय:- वन अपराध प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजसात के आदेश के विरुद्ध अपील में वन संरक्षक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के आदेश को ही निरस्त करने पर अपील.

--0--

भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं अन्य अधिनियमों जिनमें वन अपराध प्रकरण में जप्त सामग्री के राजसात की कार्यवाही का प्रावधान है, उनमें प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध वन संरक्षक द्वारा सुनवाई का प्रावधान है तथा वन संरक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने का प्रावधान है ।

ऐसे प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजसात के प्रकरण में वन संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत अपील में राजसात वस्तु के निर्मुक्त करने का आदेश पारित किया जाता है उनमें विभाग की ओर से भी पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है । किन्तु वन संरक्षक के आदेश के विरुद्ध अधिनस्थ वन मंडलाधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने में इसलिये हिचकते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कैसे की जाए ।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वनोपज के अतिरिक्तजप्त सामग्री राजसात की गई हो, के प्रकरण में यदि वन संरक्षक अपील की सुनवाई के पश्चात इस आदेश को उलट देते हैं एवं राजसात की गई वस्तु निर्मुक्त कर देते हैं तो ऐसे आदेश की प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक संरक्षण कक्ष को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति सहित नाम से तीन दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से प्रेषित की जाए । जिससे तथ्यों के आधार पर सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर के संबंध में उचित निर्णय लेकर सामयिक कार्यवाही की जा सके ।

(श्रीकृष्ण शुक्ल)
मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश
भोपाल.